समयबद्ध / ई0मेल

संख्या–पी–99 / 81–2–2020–800(108) / 2020

प्रेषक,

आर0पी0सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

विषयः– कार्योपरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनज 9.10 के दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में एस्सार आयॅल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र दिनांक 989 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / अद्रर्स / 14131 / 2015, दिनांक 27.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी है :–

(1) प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति (Ex. post facto.) से संबंधित है, तो पृष्ठ–20 पर रक्षित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है?

(2) विषयगत प्रस्ताव वर्ष 2015 में प्रस्तावित है, उल्लंघन कब किया गया है? भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश दिनांक 29–01–2018 के बिन्दु–3 बी के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना उचित प्रतीत नही होता है?

(3) प्रस्ताव के पृष्ठ–31 पर रक्षित प्रमाण पत्र दिनांक 31–3–2020 को समाप्त हो गया है, जिसे अद्यतन अपेक्षित है।

(4) एच–2 केस दर्ज होने के पश्चात पेनाल्टी जमा की गयी? केस प्रशमित की गयी है अथवा नहीं?

3– कृपया उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव